



बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

इंटरमीडिएट परीक्षा, 2017 के लिए सूचीकरण/अनुमति आवेदन पत्र एवं शुल्क ऑनलाईन मरे जाने के संबंध में अत्यावश्यक सूचना

एतद द्वारा इंटरमीडिएट/+2 स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले सभी मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थान के प्रधान संबंधित छात्र/छात्राओं/अभिभावकों एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचित किया जाता है कि इंटरमीडिएट के सत्र 2015-2017 (व्यावसायिक पाठ्यक्रम सहित) के लिए ऑनलाईन सूचीकरण/अनुमति आवेदन पत्र एवं शुल्कादि निम्नांकित रूप में स्वीकार किये जाएंगे:

सूचीकरण/अनुमति आवेदन पत्र एवं शुल्क ऑनलाईन स्वीकार करने की तिथि	बिना विलम्ब दण्ड के 25.10.2016 से 03.11.2016 तक
---	--

सूचीकरण/अनुमति हेतु निर्धारित शुल्क का विवरण निम्नवत् है:

छात्र/छात्रा की कोटि	मद		बिना विलम्ब दण्ड
	सूचीकरण आवेदन शुल्क		
नियमित कोटि के लिए	(i)	पंजीयन शुल्क	50/-
	(ii)	इमीग्रेशन शुल्क	300/-
स्वतंत्र कोटि के लिए	(i)	पंजीयन शुल्क	150/-
	(ii)	इमीग्रेशन शुल्क	300/-
	(iii)	अनुमति शुल्क	150/-

इमीग्रेशन शुल्क सिर्फ अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण छात्र/छात्रा के लिये अनुमान्य है। अन्य बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण छात्र/छात्रा को मूल प्रव्रजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) भी जमा करना अनिवार्य है।

सूचीकरण करानेवाले नियमित/स्वतंत्र कोटि के अभ्यर्थियों के लिए:

(i) ऐसे छात्र जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अथवा अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड यथा सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0/संस्कृत बोर्ड/मदरसा बोर्ड इत्यादि से 10वीं/माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण हो एवं नियमित छात्र/छात्रा के रूप में इंटरमीडिएट परीक्षा-2017 में शामिल होना चाहते हैं। (ii) ऐसे पूर्ववर्ती छात्र जो सत्र 2014-2016 के नियमित छात्र हो लेकिन वर्ष 2016 इंटरमीडिएट परीक्षा के लिये सूचीकृत नहीं हुए हैं और नियमित छात्र के रूप में इंटरमीडिएट परीक्षा 2017 में शामिल होना चाहते हैं। (iii) स्वतंत्र कोटि के ऐसे छात्र जो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण हो एवं कला/वाणिज्य में इंटरमीडिएट परीक्षा 2017 में सम्मिलित होना चाहते हैं। स्वतंत्र कोटि के छात्रों के लिये प्रावधान है कि 10वीं उत्तीर्णता के तीसरे वर्ष में इंटरमीडिएट की परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं परन्तु छात्राओं के लिये इसमें एक वर्ष की छूट अर्थात् नियमित की तरह 10वीं उत्तीर्णता के अगले दो वर्षों में।

ऐसे छात्र/छात्रा जिनके लिये सूचीकरण अनुमान्य/आवश्यक नहीं है:

(i) वर्ष 2016 इंटरमीडिएट के उत्तीर्ण परीक्षार्थी यदि 2017 की इंटरमीडिएट परीक्षा में एक या सभी उत्तीर्ण विषयों में समुन्नत कोटि के रूप में सम्मिलित होना चाहते हैं तो वे परीक्षा प्रपत्र भरते समय परीक्षा शुल्क के साथ अनुमति शुल्क जमा करेंगे जिन्हें अनुमति स्वतः देय होगी। समुन्नत कोटि के छात्र का विषय वही रहेगा जो वर्ष 2016 की परीक्षा के लिए था और उस विषय में वे उत्तीर्ण हुए हैं। (ii) वर्ष 2016 परीक्षा के अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी पूर्ववर्ती परीक्षार्थी के रूप में इंटरमीडिएट परीक्षा 2017 में शामिल होना चाहते हैं। (iii) क्वालिफाइंग परीक्षार्थी के रूप में किसी एक विषय में 2017 इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र/छात्रा के लिए वही विषय अनुमान्य होगा जो उनके द्वारा पूर्व में न तो लिया गया हो और न ही उस विषय में उत्तीर्ण हो। ऐसे छात्र/छात्रा परीक्षा प्रपत्र भरते समय परीक्षा शुल्क के साथ ही अनुमति शुल्क जमा करेंगे जिन्हें अनुमति स्वतः देय होगी।

व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अभ्यर्थियों के लिए :


(i) सत्र 2015-17 के नियमित छात्र/छात्रा सूचीकरण के लिए पात्रता रखते हैं। विद्यालय प्रधान निर्धारित सीट के अन्तर्गत ही छात्र/छात्रा का सूचीकरण आवेदन पत्र एवं शुल्कादि ऑनलाईन जमा करेंगे। (ii) सत्र 2014-16 के अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी यदि पूर्ववर्ती परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो उनके लिए सूचीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। (iii) व्यावसायिक पाठ्यक्रम में स्वतंत्र एवं समुन्नत या क्वालिफाइंग परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में शामिल होने का प्रावधान नहीं है। (iv) अन्य सभी शर्तें वही होंगी जैसा कि सामान्य इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए निर्धारित है।

मान्यता निरस्त/निलंबित शिक्षण संस्थानों के छात्र/छात्रा के सूचीकरण हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी के लिए आवश्यक :
जिन नवसम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों/+2 विद्यालयों की समिति द्वारा विशद जाँच के फलस्वरूप मान्यता निरस्त/निलंबित कर दी गयी है, छात्र/छात्रा को मद्देनजर रखते हुए उन निरस्त/निलंबित महाविद्यालयों/+2 विद्यालयों के इंटरमीडिएट परीक्षा, 2017 में सम्मिलित होने वाले छात्र/छात्राओं का ऑनलाईन परीक्षा आवेदन पत्र एवं शुल्कादि निकट के मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/+2 विद्यालय के माध्यम से भरवाना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में ऐसे निलंबित/निरस्त महाविद्यालय/+2 विद्यालयों के माध्यम से परीक्षा आवेदन पत्र एवं शुल्क स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

शुल्कादि ऑनलाईन जमा करने के संबंध में :-

ऑनलाईन सूचीकरण शुल्कादि जमा करने हेतु मात्र बैंक चालान की सुविधा प्रदान की गयी है। समिति के वेबसाइट पर उपलब्ध बैंक चालान प्राप्त कर इलाहाबाद बैंक के किसी भी Core Banking शाखा में बैंक चालान पर अंकित इलाहाबाद बैंक खाता संख्या-50233179401 में राशि जमा कर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर लेंगे।

ऑनलाईन आवेदन (क्रमबद्ध प्रक्रिया) :



(1) लौगिन के संदर्भ में :- विद्यालय/महाविद्यालय प्रधान के लिए बोर्ड के वेबसाइट www.biharboard.ac.in पर सूचना उपलब्ध रहेगी। www.bsebbihar.com पर लौगिन करने के लिये डिफॉल्ट युजर आई0डी0-college/schoolcode@bseb.com (सत्यापित रोल कोड) का प्रयोग करेंगे। उदाहरण के लिए यदि विद्यालय/महाविद्यालय का कोड 11104 है, तो आपका युजर आई0डी0-11104@bseb.com होगा तथा पासवर्ड-विद्यालय/महाविद्यालय के प्रधान जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त करेंगे।

(2) रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के संदर्भ में :-

लौगिन के उपरान्त विद्यालय/महाविद्यालय विवरणों का पेज खुलेगा। जिसमें छात्र/छात्रा का विवरण भरकर Submit बटन पर क्लिक करेंगे। Submit के उपरान्त छात्र/छात्रा का फोटो अपलोड पेज खुलेगा। जिसमें छात्र/छात्रा अपना फोटो तथा हस्ताक्षर (निर्देशानुसार निर्धारित साइज एवं डाइमेंशन में होना आवश्यक है) अपलोड कर Save बटन पर क्लिक करेंगे। (3) छात्र/छात्रा से संबंधित सूचनाओं का सत्यापन :- उपरोक्त प्रक्रिया के पश्चात रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरा गया छात्र/छात्रा का विवरण, अपलोड किये गये फोटो तथा हस्ताक्षर के साथ पूरा फॉर्म दिखेगा। जिसमें डिक्लरेशन स्टेटमेंट के साथ लगे चेक बॉक्स को चेक कर के Final Submit बटन पर क्लिक करेंगे। यदि किसी सुधार की आवश्यकता है तो एडिट बटन पर क्लिक कर के फॉर्म को संशोधित कर Final Submit बटन पर क्लिक करेंगे। (4) शुल्क का भुगतान निम्न माध्यम से किया जा सकेगा :- नगद भुगतान (चालान/ई0-चालान के माध्यम से) (क) सामान्य चालान (बैंक द्वारा प्राप्त जर्नल नंबर वेबसाइट में अंकित करना अनिवार्य है।) (ख) ई-चालान (बैंक द्वारा प्राप्त जर्नल नंबर वेबसाइट में स्वतः अंकित हो जायेगा)। ऑन लाइन भुगतान की स्थिति:- (क) डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग के माध्यम से भी परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा सकेगा।

(5) भुगतान सत्यापन के संदर्भ में :- (i) नगद भुगतान के स्थिति में चालान का जर्नल नंबर सिस्टम में अंकित करना अनिवार्य है तथा जर्नल नंबर प्रविष्ट करने के उपरान्त चालान की बोर्ड प्रति जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में निर्धारित तिथि तक अवश्य जमा करा दें। विद्यालय प्रति सुरक्षित अपने पास रखें। आवश्यकता पड़ने पर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। (ii) ऑनलाईन भुगतान की स्थिति में पेमेंट कंफर्मेशन की प्रतिप्रिंट कर भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें। आवश्यकता पड़ने पर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। (6) छात्र/छात्राओं की समेकित सूची के संदर्भ में :- विद्यालय/महाविद्यालय पंजीकृत सभी छात्र/छात्राओं की समेकित सूची एवं भुगतान की प्रविष्टि देख तथा प्रिंट कर सकते हैं।

(7) लौगआउट :-विद्यालय/महाविद्यालय उपर्युक्त प्रक्रिया करने के बाद लौग आउट कर सकते हैं। (8) ऑन लाइन आवेदन भरने से पूर्व सूचनाओं/कागजातों को तैयार रखने के संदर्भ में:- ऑन लाइन आवेदन पत्र में वैध ईमेल आई0डी0/आधार नंबर/मोबाइल न0 की प्रविष्टि करें। इन सूचनाओं की प्रविष्टि की वाधता नहीं है। (9) फोटो एवं हस्ताक्षर के लिए दिशा-निर्देश:- (i) फोटो से स्कैन किया फोटो (jpg/jpeg) फॉरमेट (3.5cm(width) x 4.5 cm(height)) में हो तथा आकार 20.50 KB से अधिक न हो। (ii) स्कैन किया हस्ताक्षर का नमूना (jpg/jpeg) फॉरमेट (3.5cm(width) x 1 cm(height)) में हो तथा आकार 5.20 KB से अधिक न हो। (10) अन्य आवश्यक निर्देश:- (i) बैंक चालान के माध्यम से भुगतान करने के पश्चात विद्यालय/महाविद्यालय यह सुनिश्चित कर लें कि जर्नल नंबर की प्रविष्टि सिस्टम में कर ली गई है। (ii) शुल्क का भुगतान एक बार में एक छात्र अथवा एक बार में एक से अधिक छात्र भी कर सकते हैं। (iii) शुल्क का भुगतान ऑन लाइन पेमेंट मोड के माध्यम से किया जा सकता है। क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड या बैंक चालान पेमेंट मोड उपलब्ध रहेगा। (iv) ऑन लाइन फॉर्म भरने में किसी प्रकार की असुविधा होने पर विद्यालय/महाविद्यालय सहायता हेतु हेल्प लाइन नं0-BSEB, रजिस्ट्रेशन हेल्प डेस्क नं0-0812-2222513, 2232074, 2232227, 2232239, 2232257 पर संपर्क कर सकते हैं। (v) मार्गदर्शिका समिति के वेबसाइट www.biharboard.ac.in पर उपलब्ध है।

परीक्षा नियंत्रक (उ.मा.)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना